

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर - 302018
www.rsmssb.rajasthan.gov.in, दूरभाष नं.-0141-2722520

क्रमांक : प.8 (38) प.आ./ RSMSSB / सी.भ. परी. / 2018 / 24

दिनांक 9/4/2018

विज्ञापित

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन निम्नानुसार किया जावेगा :-

क्र. सं.	पदनाम/विभाग (जिसके लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है)	परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन संख्या एवं (क्रमांक/दिनांक)	परीक्षा आयोजन का दिनांक	परीक्षा आयोजन का समय
1.	सूचना सहायक (Informatics Assistant) (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग)	विज्ञापन संख्या 02 / 2018 (1104 / 27.02.2018)	05.05.2018 (शनिवार)	प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक
2.	संगणक (Computer) आयोजना विभाग (आर्थिक एवं सांख्यिकी)	विज्ञापन संख्या 01 / 2018 (1063 / 20.02.2018)	12.05.2018 (शनिवार)	प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक

उक्त परीक्षाओं के लिए ई-प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि बाबत अलग से सूचित कर दिया जावेगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञापितियों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।

परीक्षार्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा केन्द्रों पर नकल एवं प्रतिलिपि की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। अतः परीक्षा में नकल/प्रतिलिपि कराने के नाम पर टगी करने वाले गिरोह के किसी झोसे/बहकावे में नहीं आवें। नकल करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें। नकल एवं प्रतिलिपि के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें।

(डॉ. बी० एल० जाटावत)
अध्यक्ष

क्रमांक : प.8 (38) प.आ./ RSMSSB / सी.भ. परी. / 2018 / 24

दिनांक 9/4/2018

- प्रतिलिपि:-1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त विज्ञापित को दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर", "राजस्थान पत्रिका", "राष्ट्रदूत" एवं दैनिक नवज्योति के राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में अविलम्ब प्रकाशित करवायें एवं बिल भुगतान हेतु बोर्ड कार्यालय को प्रेषित कर दें।
2. जिला कलक्टर, (समस्त), राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापित कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करवायें।
 3. प्रभारी, आई.टी. प्रकोष्ठ R.S.M.S.S.B. को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापित को बोर्ड की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करावें।
 4. निजी अनुभाग (अध्यक्ष/सचिव) / लेखा अनुभाग, R.S.M.S.S.B.
 5. रक्षित पत्रावली/विज्ञापित पत्रावली।

अध्यक्ष